Website : www.sudaup.org, email : pmusuda@gmail.com
फोन : 0522-2286709, 2286710 फैक्स : 0522-2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ.प्र.

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

पत्रांकः— 1693 / 01 / 29 / HFA-10 / 2017—18 दिनांकः— 03 अगस्त, 2017

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम, उ0प्र0।

विषयः—**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास (AHP) एवं इन—सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) घटक के अन्तर्गत आवास बनाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के पत्र संख्या—946 / 69—1—14(17) / 2017 दिनांक 21 जून, 2017 के क्रम में सूडा के पत्रांक—1484 / 01 / 29 / एचएफए—9 / 2017—18 दिनांक 18.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपसे दोनों घटकों (AHP & ISSR) में भूमि के चिन्हांकन व अग्रेत्तर कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु अभी तक आपके द्वारा उक्त सूचना सूडा मुख्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अभी तक AHP घटक के अन्तर्गत मात्र नगर निगम **लखनऊ** एवं **गाजियाबाद** द्वारा भूमि उपलब्धता की सूचना उपलब्ध करायी गयी है। **गोरखपुर** नगर निगम द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है कि निगम / सरकारी भूमि पर कोई स्लम स्थित नहीं है और AHP घटक हेतु कोई उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है। नगर आयुक्त, **सहारनपुर** द्वारा ए0एच0पी0 घटक के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु कितने क्षेत्रफल भूमि की आवश्यकता है, के बारे में जानकारी चाही गयी थी, जिसके सम्बन्ध में सूडा के पत्रांक—1482 / 10 / पी0 एस0एम0एस0 / भू0उ0—सूडा / 2017 दिनांक 18.07.2017 द्वारा संदर्भित योजना के अविलम्ब क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध भूमि के अनुरूप स्थानिक स्तर पर विकास प्राधिकरण / आवास एवं विकास परिषद से समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर एक सप्ताह में अवगत कराने की अपेक्षा की गयी थी, जिसकी सूचना अभी अप्राप्त है। इसके अतिरिक्त नगर आयुक्त, **इलाहाबाद** द्वारा आई0डी0एच0 कम्पाउण्ड अल्लापुर (हैजा अस्पताल परिसर) एवं नैनी स्थित अरैल कैटिल कालोनी के पास सलेज फार्म की पूरब से पश्चिम—164 फिट, उत्तर से दक्षिण—108 फिट तथा पुराना हैजा अस्पताल एवं पुराना रैन बसेरा 50 मी0 लम्बा तथा 33 मी0 चौड़ी भूमि को चिन्हित कर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है, जिसके क्रम में सूडा के पत्रांक—1591 / 10 / पी0एस0एम0एस0 / 2017 दिनांक 26.07.2017 द्वारा पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं को समाहित करते हुए संशोधित प्रस्ताव नजरी नक्शा सहित प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, जिसकी सूचना भी अब तक अप्राप्त है।

क्रमशः....... 2 पर

लखनऊ, गाजियाबाद द्वारा जो भूमि उपलब्धता की सूचना उपलब्ध करायी गयी है, उसे स्थानीय प्रचलित नियमों के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 आवास बनाये जाने हेतु भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के अन्तर्गत चयनित भूमि का विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायें एवं उक्त भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ई0डब्ल्यू0एस0 आवास बनाये जाने हेतु नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

नगर निगम, **आगरा** द्वारा भूमि उपलब्धता की जो सूचना उपलब्ध करायी गयी है, उक्त भूमि खतौनी में रिंग रोड के नाम से दर्ज है। यदि उक्त भूमि भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के लिए उपयुक्त है एवं स्थानीय विकास प्राधिकरण को नगर निगम द्वारा अनापत्ति प्रदान कर दी जाती है एवं नक्शा स्वीकृत कर दिया जाता है, तो तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए सूचना उपलब्ध करायी जाये अन्यथा की दशा में अन्य उपयुक्त भूमि का चयन कर प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। शेष नगर निगमों के द्वारा अभी तक AHP घटक के अन्तर्गत भूमि चिन्हांकन की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

इन–सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) घटक के अन्तर्गत **लखनऊ** नगर निगम को छोड़कर अन्य नगर निगम द्वारा अब तक स्लम को चिन्हित किये जाने व भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कराये जाने की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। विगत बैठक में **बरेली** नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया था कि उनके द्वारा कार्यवाही प्रचलित है, परन्तु अभी तक उक्त के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उपर्युक्त दोनों घटकों (AHP & ISSR) में उपरोक्तानुसार भूमि के चिन्हांकन व अग्रेत्तर कार्यवाही के सम्बन्ध में सुस्पष्ट सूचना 03 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग को अवगत कराया जा सकें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर अवलोकनार्थ।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक